vinetur

जर्मनी की वित्त समिति ने 2027 के उस कर विधेयक का समर्थन किया जिसमें स्पार्कलिंग वाइन पर बढ़ोतरी नहीं होगी

संशोधित प्रस्ताव में 15% तक अल्कोहल वाले मिश्रित पेयों पर कर का दायरा बढ़ा, जबकि स्पार्कलिंग वाइन पर प्रस्तावित वृद्धि हटा दी गई

शुक्रवार, 13 नवंबर 2026



जर्मनी की वित्त समिति ने गुरुवार, 12 नवंबर को देश की उत्पाद शुल्क योजनाओं में बदलावों को मंजूरी दी। समिति ने 2027 के बजट से जुड़े संशोधित विधेयक का समर्थन किया, जिसके तहत स्पार्कलिंग वाइन को प्रस्तावित अल्कोहल कर वृद्धि से छूट मिलेगी, जबकि अल्कोपॉप कर का दायरा बढ़ाकर उसमें मात्रा के हिसाब से 15% तक अल्कोहल वाले मिश्रित पेय शामिल किए जाएंगे।

समिति के मतदान से संघीय सरकार के 2027 के बजट विधेयक से जुड़ा कर पैकेज आगे बढ़ा। बैठक में इसके कर संबंधी प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। Bundestag की संसदीय समाचार सेवा के अनुसार, गठबंधन दलों ने संशोधित

मसौदे का समर्थन किया, जबकि विपक्षी दल AfD, ग्रीन्स और The Left ने इसके खिलाफ मतदान किया। गठबंधन की ओर से पेश संशोधनों को भी सभी विपक्षी गुटों ने खारिज कर दिया।

मंजूर बदलावों के तहत मीठे पेयों पर कर लगाने की शुरुआत छह महीने टालकर 1 जनवरी, 2028 कर दी जाएगी और इसे तीन चरणों में लागू किया जाएगा। अल्कोहल के मामले में संशोधित विधेयक में स्पार्कलिंग वाइन पर प्रस्तावित कर वृद्धि हटा दी गई है। इसके बदले अल्कोपॉप कर का दायरा बढ़ाकर कई तरह के मिश्रित पेय इसमें शामिल किए जाएंगे, हालांकि कर की दर पहले के प्रस्ताव से कम होगी।

Bundestag की सूचना के अनुसार, अल्कोपॉप के नए नियमों से प्रभावित उत्पादों पर कर का बोझ फिर भी बढ़ेगा। इसमें एक उदाहरण दिया गया : 0.33 लीटर के ऐसे मिश्रित पेय पर, जिसमें मात्रा के हिसाब से 10% अल्कोहल हो, करीब 1 यूरो का अतिरिक्त कर लगेगा। सूचना में यह भी कहा गया कि अल्कोपॉप कर से होने वाली आय का 1%, अधिकतम 1 million euros तक, नशे की लत की रोकथाम के लिए निर्धारित किया जाएगा।

संसदीय सूचना में उद्धृत टिप्पणियों में CDU/CSU ने कहा कि जनवरी 2027 से अल्कोहल कर में 20% की बढ़ोतरी काफी बड़ी है, लेकिन इसे करीब 44 वर्षों में इस तरह की पहली बढ़ोतरी बताया और कहा कि इसके बाद भी जर्मनी की दर यूरोपीय औसत के आसपास रहेगी। इस गठबंधन ने कहा कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी ऊंचे शुल्क लगाने की सिफारिश की है। उसका तर्क था कि जर्मन वाइन उत्पादक मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं, इसलिए स्पार्कलिंग वाइन पर बढ़ोतरी हटाई जा रही है।

CDU/CSU ने यह भी कहा कि कर आधार का दायरा बढ़ाने के बावजूद अल्कोपॉप कर की दर पहले की योजना से 45% कम होगी। उसके मुताबिक, व्यापक दायरे से फिर भी अतिरिक्त राजस्व मिलेगा और स्पार्कलिंग वाइन कर न बढ़ाने के फैसले की भरपाई होगी। पार्टी ने कहा कि इस राजस्व का कुछ हिस्सा नशे की लत की रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

SPD ने इस व्यापक पैकेज का बचाव बड़े बजट प्रयास के हिस्से के तौर पर किया। उसने कहा कि गठबंधन ने खर्च में कटौती और राजस्व बढ़ाकर 34 billion euros का बजटीय समेकन करने की क्षमता दिखाई है। पेय करों पर SPD सांसदों ने कहा कि तंबाकू और अल्कोहल पर ऊंचे कर तथा चीनी कर जनस्वास्थ्य के लिहाज से उचित हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के मूल प्रस्तावों में संशोधन करना और स्पार्कलिंग वाइन पर बढ़ोतरी छोड़ देना सही फैसला था।

SPD ने यह भी कहा कि अल्कोपॉप बाजार में इस कर के पहली बार लागू होने के बाद से बदलाव आया है और अधिक अल्कोहल वाले पेय अब कहीं ज्यादा आम हो गए हैं। पार्टी ने जोर देकर कहा कि बीयर या वाइन पर कोई कर वृद्धि नहीं होगी। मीठे पेयों पर कर के बारे में पार्टी ने कहा कि छह महीने की देरी निर्माताओं और सीमा शुल्क अधिकारियों, दोनों के लिए अहम है, क्योंकि इससे उन्हें तैयारी के लिए अधिक समय मिलेगा। उसने कहा कि कर धीरे-धीरे लागू किया जाएगा और व्यवस्था इस तरह बनाई जाएगी कि नौकरशाही का बोझ सीमित रहे। नए कर के लिए सीमा शुल्क विभाग में कोई अतिरिक्त पद भी नहीं बनाए जाएंगे।

विपक्षी दलों ने बदलावों की प्रक्रिया और उनके प्रावधानों, दोनों की आलोचना की। AfD ने गठबंधन के संशोधनों को देर से पेश किए जाने की आलोचना की और कहा कि इस विवाद से सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर मतभेद उजागर होते हैं। पार्टी का तर्क था कि बजट का संरचनात्मक समेकन नहीं किया जा रहा और विशेष निधियों तथा भुगतान टालने के उपायों के जरिए लागत को आगे खिसकाया जा रहा है। उसने यह भी कहा कि तंबाकू कर से राजस्व बढ़ने के बजाय घटेगा।

AfD के अपने प्रस्ताव को हर दूसरे संसदीय समूह ने खारिज कर दिया। उसमें सरकार से तंबाकू कर वृद्धि वापस लेने, अन्य प्रस्तावित कर बढ़ोतरी छोड़ने और पार्टी के शब्दों में छोटे-मोटे करों को खत्म करने की मांग की गई थी। इसमें सरकार से चीनी कर और प्लास्टिक कर जैसे नए शुल्क न लगाने का आग्रह भी किया गया। CDU/CSU ने इस प्रस्ताव की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि तंबाकू कर वृद्धि वापस लेना स्वास्थ्य नीति और सरकारी वित्त, दोनों के लिए

नुकसानदेह संकेत होगा।

ग्रीन्स ने भी संशोधनों को देर से पेश किए जाने की आलोचना करते हुए इसे अनुचित प्रक्रिया बताया। प्रस्तावों के विषयवस्तु पर पार्टी ने कहा कि यदि चीनी कर उपभोक्ताओं के व्यवहार में बदलाव लाने के अपने उद्देश्य में सफल रहा, तो उससे कम राजस्व मिल सकता है। ग्रीन्स ने कहा कि वे लंबे समय से कर को बाद में लागू करने के पक्ष में रहे हैं, ताकि उसकी सफलता की संभावना बढ़े। हालांकि, उन्होंने संशोधन पैकेज का समग्र रूप से विरोध किया और अल्कोहल करों में व्यापक, दीर्घकालिक सुधार की मांग की।

The Left ने प्रक्रिया को लेकर इसी तरह की चिंताएं जताईं और कहा कि संशोधित पैकेज से उपभोक्ता खर्च के जरिए अतिरिक्त राजस्व जुटाया जाएगा, जिसका बोझ खास तौर पर कम और मध्यम आय वाले परिवारों पर पड़ेगा। पार्टी का तर्क था कि महंगाई और कई संकटों के इस दौर में लोगों पर कीमतों में और बढ़ोतरी का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए।

पेय उत्पादकों, आयातकों और खुदरा विक्रेताओं के लिए समिति के बदलाव कई श्रेणियों पर कर के दबाव को नए सिरे से तय कर सकते हैं। लगता है कि जनवरी 2027 से आसुत स्पिरिट और तैयार मिश्रित पेयों पर कर का बोझ बढ़ेगा, जबकि स्पार्कलिंग वाइन प्रस्तावित वृद्धि से बच जाएगी। इससे अल्कोहल बाजार के कुछ हिस्सों में खुदरा कीमतों, कंपनियों के मुनाफे और मांग के रुझानों पर असर पड़ सकता है। बीयर और स्थिर वाइन इन विशेष बढ़ोतरी के दायरे से बाहर रहेंगी। चीनी कर में देरी से शीतल पेय निर्माताओं को 1 जनवरी, 2028 से पहले अपने नुस्खों, कीमतों और अनुपालन प्रणालियों में बदलाव करने के लिए अधिक समय मिलेगा।

समिति की मंजूरी से विधायी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, लेकिन सरकार के 2027 के बजट विधेयक से जुड़े कर प्रावधानों को आगे बढ़ाने की दिशा में यह एक अहम कदम था।